उत्तर प्रदेश सरकार
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2
वित्त वेतनमान (नियमावली एवं विधि) प्रकोष्ठ
संख्या-37 /2016-वे0आ0-2-1374/दस-2016-10/2013
लखनऊ : दिनांक : 26 जुलाई, 2016

दिनांक 26 जुलाई, 2016 को प्रख्यापित उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2016 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुखकार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश शासन।
3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4- प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश।
5- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश शासन।
6- सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
8- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9- विशेष कार्याधिकारी (मीडिया) मा0 मुख्यमंत्री जी।
10- निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश।
11- वेब अधिकारी/वेब मास्टर, नियुक्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
12- महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

अजय अग्रवाल
सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 37/2016-Va.Aa.-2-1374/Dus-2016-10/2013 dated 26 July. 2016.

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
FINANCE DEPARTMENT
(NIYAMAWALI AND VIDHI PRAKOSTH)

NOTIFICATION
Miscellaneous

No.37/2016-Va.Aa.-2-1374/Dus-2016-10/2013
Dated Lucknow, 26 July, 2016

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Government Department Subordinate Accounts Cadre (Non-Gazetted) Service Rules,2014 :

THE UTTAR PRADESH GOVERNMENT DEPARTMENT SUBORDINATE ACCOUNTS CADRE (NON-GAZETTED) SERVICE (FIRST AMENDMENT) RULES, 2016

<table>
<tr><td>Short title and commencement</td><td colspan="4">1. (1) These rules may be called The Uttar Pradesh Government Department Subordinate Accounts Cadre (Non-Gazetted) Service (First Amendment) Rules, 2016.
(2)(i) Rule 2 of these rules shall be deemed to have come into force with effect from November 07, 2014.
(ii) Rules 3, 4 and 5 of these rules shall come into force at once.</td></tr>
<tr><td>Substitution of rule 2</td><td colspan="4">2. In the Uttar Pradesh Government Department Subordinate Accounts Cadre (Non Gazetted) Service Rules, 2014, hereinafter referred to as the said rules, for existing rule 2 set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely:-</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">COLUMN 1</td><td colspan="2">COLUMN 2</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">Existing rule</td><td colspan="2">Rule as hereby substituted</td></tr>
<tr><td></td><td>Application of these rules</td><td>2.These rules shall apply to the posts of the Combined</td><td>Application of these rules</td><td>2.These rules shall apply to the posts of the Combined</td></tr>
</table>

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

		Subordinate Accounts Cadre in Government Departments under the rule making power of the Governor under the proviso to Article 309 of the Constitution excluding the High Court of Judicature at Allahabad, of the office of the Advocate General, Governor's Secretariat, of the offices of the State Legislature, Uttar Pradesh Secretariat, Public Service Commission, Uttar Pradesh, The Uttar Pradesh State Public Services Tribunal.		Subordinate Accounts Cadre in Government Departments under the rule making power of the Governor under the proviso to Article 309 of the Constitution excluding the High Court of Judicature at Allahabad, of the office of the Advocate General, Governor's Secretariat, of the offices of the State Legislature, Uttar Pradesh Secretariat, Public Service Commission, Uttar Pradesh, the Uttar Pradesh State Public Services Tribunal, office of Chief Election Officer, Lokayukta Office, Planning Commission under the Planning Department, Directorate of Establishment Review Bureau, Directorate of Fiscal Planning and Resources under the Finance Department and the Estate Department under the Special Secretary

http://shasanadesh.up.nic.in

				and Estate Officer to the Government.
Amendment of rule 5	**3.** In the said rules, in rule 5, for existing clause (d) set out in column 1 below, the clause as set out in Column 2 shall be substituted, namely :--			
	COLUMN 1		**COLUMN 2**	
	Existing clause		**Clause as hereby substituted**	
		(d) "Commission" means the Uttar Pradesh Public Service Commission;		**(d)** "Commission" means the Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission;
Substitution of rule 17	**4.** In the said rules, for existing rule 17 set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely :-			
	COLUMN 1		**COLUMN 2**	
	Existing rule		**Rule as hereby substituted**	
	Procedure for direct recruitment through the Commission	**17.(1)** Application for permission to appear in the competitive examination shall be invited by the Commission in the form published in the advertisement issued by the Commission. **(2)** No candidate shall be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission, issued by the Commission. **(3)** After the results of the written examination have	Procedure for direct recruitment through the Commission	**17.** Direct recruitment to the post of Assistant Accountant in the Service shall be made in accordance with the Uttar Pradesh Direct Recruitment to Group 'C' Posts (Mode and Procedure) Rules, 2015, as amended from time to time.

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		been received and tabulated, the Commission shall, having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribe and other categories under rule 8, prepare a list of candidates who have come up to the standard fixed by the Commission in this respect. **(4)** The Commission shall prepare a list of candidates in order of their proficiency as disclosed by the marks obtained by each candidate at the written examination and recommend such number of candidates as they consider fit for appointment. If two or more candidates obtain equal marks, the Commission shall arrange their names in order of		

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		merit on the basis of their general suitability for the service. The Commission shall forward the list to the appointing authority.		
Substitution of rule 27	**5.** In the said rules, for existing rule 27 set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely :--			
	COLUMN 1		**COLUMN 2**	
	Existing rule		**Rule as hereby substituted**	
	Relaxation from the conditions of service	**27.** Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the service causes undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner: Provided	Relaxation from the conditions of service	**27.** Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the service causes undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		that where a rule has been framed in consultation with the Commission, that body shall be consulted before the requirements of the rule are dispensed with or relaxed.		

By order,
Ajai Agarwal
Secretary

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश सरकार
वित्त विभाग
(नियमावली एवं विधि प्रकोष्ठ)
संख्या-37/2016-वे0आ0-2-1374/दस-2016-10/2013
लखनऊ: दिनांक : 26 जुलाई, 2016

अधिसूचना
प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग (अरापत्रित) सेवा नियमावली, 2014 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :--

उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2016

	भाग-एक-सामान्य	
संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	**1-(1)** यह नियमावली उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2016 कही जायेगी। **(2)(एक)** इस नियमावली के नियम 2 को 07 नवम्बर, 2014 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा। **(दो)** इस नियमावली के नियम 3, 4 और 5 तुरन्त प्रवृत्त होंगे।	
नियम 2 का प्रतिस्थापन	**2.** उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग (अरापत्रित) सेवा नियमावली, 2014, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में दिए गये विद्यमान नियम 2 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :--	
स्तम्भ 1	**स्तम्भ 2**	
विद्यमान नियम	**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**	
2- यह नियमावली उच्च न्यायालय, इलाहाबाद महाधिवक्ता कार्यालय, राज्यपाल सचिवालय, राज्य विधानमण्डल कार्यालय, उत्तर प्रदेश सचिवालय, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा अधिकरण को छोडकर संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल के नियम बनाने की शक्ति के अधीन	**नियमावली का लागू होना**	**2.** यह नियमावली उच्च न्यायालय, इलाहाबाद महाधिवक्ता कार्यालय, राज्यपाल सचिवालय, राज्य विधान मण्डल कार्यालय, उत्तर प्रदेश सचिवालय, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा अधिकरण, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, लोकायुक्त कार्यालय, नियोजन विभाग के अधीन योजना आयोग, निदेशालय, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग के अधीन राज्य वित्तीय आयोग एवं संसाधन निदेशालय और राज्य सम्पत्ति विभाग में शासन के विशेष सचिव एवं राज्य सम्पत्ति अधिकारी के अधीन कार्यालयों

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सरकारी विभाग में संयुक्त अधीनस्थ लेखा संवर्ग के पदों पर लागू होगी।		को छोडकर संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल के नियम बनाने की शक्ति के अधीन सरकारी विभाग में संयुक्त अधीनस्थ लेखा संवर्ग के पदों पर लागू होगी।

नियम 5 का संशोधन	**3.** उक्त नियमावली में नियम 5 में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान खण्ड (घ) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :--

स्तम्भ 1	**स्तम्भ 2**
विद्यमान खण्ड	**एतद्द्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड**
(घ) "आयोग" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, से है;	**(घ)** "आयोग" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, से है;

नियम 17 का प्रतिस्थापन	**4.** उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम 17 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :--

स्तम्भ 1 **विद्यमान खण्ड**	**स्तम्भ 2** **एतद्द्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड**
17- (1) प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुज्ञा हेतु आवेदन-पत्र आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में प्रकाशित प्रपत्र में आयोग द्वारा आमंत्रित किये जाएगें। **(2)** किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र न हो। **(3)** लिखित परीक्षा के परिणाम प्राप्त होने और सारणीबद्ध कर लिये जाने के पश्चात आयोग, नियम-8 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का स्मयक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगा जो इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा निर्धारित मानक तक पहुॅच सके हों। **(4)** आयोग अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता क्रम में, जैसा कि लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हों, एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थीयों की संस्तुति करेगा जितना वह नियुक्ति के लिये उचित समझें। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें, तो आयोग सेवा के लिए उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर योग्यता	**आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की प्रक्रिया** **17.** सहायक लेखाकार के पद पर सीधी भर्ती समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश समूह 'ग' के पदों के लिए सीधी भर्ती (रीति और प्रक्रिया) नियमावली, 2015 के अनुसार की जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्रम में उनके नामों को व्यवस्थित करेगा। आयोग सूची, नियुक्ति प्रधिकारी को अग्रसारित करेगा।	

नियम 27 का प्रतिस्थापन	**5.** उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम 27 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :--
स्तम्भ 1 **विद्यमान खण्ड**	**स्तम्भ 2** **एतद्द्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड**
27- जहॉ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक कठिनाई होती है वहां उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुये भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है। परन्तु यह कि जहां कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया है वहां उस नियम की अपेक्षाओं को अभिमुक्त या शिथिल करने से पूर्व उस निकाय से परामर्श किया जाएगा।	**सेवा की शर्तों में शिथिलता** **27.** जहॉ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनयमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक् कठिनाई होती है वहां उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के हाते हुये भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुये जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

आज्ञा से,

अजय अग्रवाल
सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।